न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1390–तीन/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–03–2013 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 84/निगरानी/2011–12.

.....

श्रीमती जमुना बाई पत्नी हल्का लोधी(मृतक)
(मृतक के वारिसान)
1–भगवानसिंह पुत्र स्व.हल्केसिंह लोधी
2–संतोषसिंह पुत्र स्व.हल्केसिंह लोधी
3–भगवती वेवा गोपाल सिंह लोधी
4–विनोद ना.वा. पुत्र गोपालसिंह सर.मॉ भागवती वेवा गोपालसिंह लोधी
5–सोनू ना.वा. पुत्र गोपालसिंह सर.मॉ भागवती वेवा गोपालसिंह लोधी
निवासीगण ग्राम सिरसौद कृषक तहसील करैरा
हाल निवास शंकर कॉलोनी डॉ.एम.डी.गुप्ता के पास,
जिला शिवपुरी म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–हरचरन पुत्र नारायण
2–ओकार पुत्र डरूआ
निवासी ग्राम सिरसौद तह0करैरा
जिला शिवपुरी

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0पी0धाकड़, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री टी0सी0नरवरिया, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 2/7/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–03–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका मृतक जमुनाबाई पत्नी स्व0हल्का लोधी द्वारा तहसील करैरा के समक्ष संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सिरसौद तहसील करैरा स्थित भूमि बन्दोबस्त के पूर्व सर्वे कमांक 1798/1, 1798/2, 1801, 1803, 1804, 1805 एवं 1806 थे उनके बन्दोबस्त में नये सर्वे कमांक 3758, 3760, 3761, 3762, 3763 एवं 3764 कुल किता रकवा 1.02 हेक्टेयर निर्मित किये गये । उक्त भूमि मृतक आवेदिका जमुना के पति हल्का के स्वत्व एवं स्वामित्व की है । हल्का लोधी की वर्ष 1998 में मृत्यु हो जाने पर उक्त भूमि मृतक आवेदिका जमुना को प्राप्त हुई एवं उसका नामान्तरण भी हो गया । आवेदिका के पुराने सर्वे नम्बर 1801 रकबा 4 बिस्बा भूमि सिरसौद तहसील पिछोर रोड से लगी होकर पश्चिम दिशा में है, इससे लगी हुई भूमि पुराने सर्वे कमांक 1800 रकवा 2 बीघा 2 बिस्वा अनावेदकगण की भूमि है तथा इसके बाद पश्चिम दिशा की भूमि सर्वे कमांक 1803 एवं 1804 उसकी की भूमि है । उक्त भूमि पर जाने हेतु व बैलगाड़ी व ट्रैक्टर आदि कृषि कार्य हेतु ले जाने के लिये एकमात्र रास्ता अनावेदकगण की भूमि सर्वे कमांक 1800 में से होकर है और अन्य कोई रास्ता आवेदकगण के लिये उपलब्ध नहीं है । अनावेदक कमांक 1 द्वारा बन्दोबस्त में सॉठगॉठ करके आवेदक की भूमि पुराने सर्वे नम्बर 1801 रकवा 3 विस्वा अपने पुराने सर्वे कमांक 1800 में शामिल कर अपने स्वत्व व स्वामित्व के नये सर्वे कमांक 3775 रकवा 0.06 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 3776 रकवा 0.12 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 3777 रकवा 0.10 हेक्टेयर का निर्माण करा लिया और मृतक आवेदिका जमुनाबाई के पुराने सर्वे नम्बर 1801 का शेष रकवा 1 विस्वा पुराने सर्वे नम्बर 1804 की भूमि में शामिल करके उसके नये सर्वे कमांक 3761 निर्मित करा लिया है, जबकि सर्वे कमांक 1804 तथा 1801 लगे हुये न होकर बहुत दूर है जिससे सर्वे कमांक 1801 का कोई भी भाग सर्वे कमांक 1804 में शामिल नहीं हो सकता है । इसी प्रकार आवेदक की भूमि सर्वे कमांक 1801 रकवा 4 विस्वा जिसे अनावेदक कमांक 1 ने हड़पने की दृष्टि से बन्दोबस्त के दौरान अपनी भूमि में मिला लिया है अतः बन्दोबस्त में हुई त्रुटि में सुधार कर आवेदिका के

पुराने सर्वे नम्बर पर नये नम्बर निर्मित कराने तथा पुराने सर्वे नम्बर 1800 में होकर पुराने सर्वे कमांक 1803 एवं 1804 पर जाने का रास्ता कायम किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 109/अ–5/2009–10 पर दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । तहसीलदार द्वारा जॉच कर प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–5/2011–12 पर दर्ज कर तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये प्रतिवेदन अपर कलेक्टर को भेजा गया । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 22–11–2011 को तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये अक्श नक्शा में दुरूस्ती किये जाने का अनुमोदन किया जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश के पालन हेतु प्रकरण तहसीलदार को भेजा गया । अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 22–11–2011 से दुखित होकर अनावेदकगण द्वारा निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 84/निगरानी/2011–12 पर दर्ज करते हुये विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 15–3–2013 से निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–11–2011 अपास्त किया गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–3–2013 से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह बताया गया कि आवेदन पत्र आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाकर अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया है । यह भी कहा गया कि बन्दोबस्त के पूर्व के नक्शे एवं बन्दोबस्त के पश्चात् के नक्शे में अन्तर है, अतः अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये बन्दोबस्त की त्रुटि को संशाधित करने का आदेश पारित करने में पूर्णत विधिसंगत कार्यवाही की गई है, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाला जाकर कि प्रकरण में रेसजूडिकेटा का सिद्धांत लागू है, अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में

अवैधानिकता की गई । इस प्रकरण में रेसजूडिकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होता है क्योंकि भगवानसिंह द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर जॉच नहीं करते हुये तीसरे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर जॉच की गई है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुये अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश 15–3–2013 निरस्त किया जाकर अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–11–2011 यथावत् रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह कहा गया कि पूर्व में आवेदिका मृतक जमुनाबाई के पुत्र द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि उसके स्वत्व व स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 1801 बन्दोबस्त के दौरान सड़क में मिला ली गई है, अतः भूमि वापिस दिलाई जाये। उक्त आवेदन पत्र तहसीलदार द्वारा निरस्त कर दिया गया तत्पश्चात् आवेदिका द्वारा संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि सर्वे नम्बर 1801 अनावेदकगण द्वारा अपनी भूमि सर्वे नम्बर 1800 में मिला लिया गया है। इस आधार पर कहा गया कि जब पूर्व में इसी भूमि के संबंध में आवेदिका के पुत्र द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त हो चुका है, तब पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से रेसजूडिकेटा का सिद्धांत लागू होगा । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि बन्दोबस्त में आवेदकगण का रकवा कम नहीं हुआ है, इसलिये अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश अवैधानिक था, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः अनावेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–3–2013 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज की जाये ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि पूर्व में प्रश्नाधीन सर्वे नम्बरों के रकबे दुरूस्ती हेतु तहसील न्यायालय में प्रकरण प्रचलित हुआ है और तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 09/08–09/अ–5 में दिनांक 20–5–08 को आदेश पारित कर रकबे में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है, केवल मेढ़ में

अन्तर पाया गया है, जिसे संशोधित करने के आदेश दिये गये हैं । पुनः हल्का के पुत्र भगवान सिंह द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और दूसरा आवेदन पत्र आवेदिका जमुना द्वारा प्रस्तुत किया गया है । जब एक बार विवाद का निर्णय हो चुका है, तब पुनः उसी विवाद के संबंध में प्रकरण प्रचलित नहीं किया जा सकता है । उपरोक्त तथ्य आवेदकगण द्वारा जॉच अधिकारी के समक्ष भी आपत्ति के रूप में प्रस्तुत किये गये है । अपर कलेक्टर द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर भी कोई विचार नहीं किया गया है कि एक बार किसी विवाद का निराकरण करने के बाद दोबारा प्रकरण प्रचलित करने में रेस–जूडीकेटा का सिद्धांत लागू होता है। उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इस कारण अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–3–2013 वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर